R. जगदीश

21-10-19 वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेशी में लिया गया प्रतिवादीगण की ओर से श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया गया वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र O. 22 R. 4 CPC पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा No objection करने पर स्वीकार किया वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया उभयपक्ष स्वयं उपस्थित राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली पूर्वाज्ञार्थ दिनांक 4-12-19 को पेश हो।

राजेन्द्र
ओमप्रकाश
R.T. मीरां
मथुरा
I by me today
Varinder
(वरिन्द्र कुमार गुप्ता)

4-12-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण में राजीनामा होने से पत्रावली में बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाकर बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड
पीठासीन अधिकारी :- क
राजस्व वाद संख्या :- 1
1 बृजलाल पुत्र श्री
हनुमानगढ (राज
1 भगवानाराम पुत्र
हनुमानगढ (राज
2 रामेश्वर पुत्र
हनुमानगढ (रा
3 रामकृष्ण पुत्र
3.1 मायादेवी
हनुमानग
3.2 राजेन्द्रकु
जिला ह
3.3 ओमप्रक
हनुमान
4 मीरां पुत्री भ
सूरतगढ जि
5 मथुरादेवी पु
थेहडी तहसी
दावा अन्तर्गत
1. श्री सोम प्र
2. श्री वरिन्द्र
वादी द्वारा
तहत इस न्याया
चक नम्बर 3 ए
नम्बर 19 से 2
नम्बर 103/26
हैक्टर भूमि मय
दर्ज है। प्रमाणि
वाद-प
हैक्टर भूमि प्र
तनसुखराम से
सलंग्न वाद-
वाद-
भूमि उसके
भूमि में प्रति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 162 / 2019 अनवान बृजलाल बनाम भगवानाराम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 162 / 2019

1 बृजलाल पुत्र श्री भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 भगवानाराम पुत्र श्री तनसुखदास जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।

2 रामेश्वर पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।

3 रामकृष्ण पुत्र श्री भगवानाराम (मृतक)

3.1 मायादेवी पत्नि स्व. रामकृष्ण जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

3.2 राजेन्द्रकुमार पुत्र स्व. रामकृष्ण जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

3.3 औमप्रकाश पुत्र स्व. रामकृष्ण जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।

4 मीरां पुत्री भगवानाराम पत्नि लीलाधर जाति कुम्हार निवासी 1 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)।

5 मथुरादेवी पुत्री भगवानाराम पत्नि श्री मनीराम टाक जाति कुम्हार निवासी नाथावाली थेहडी तहसील व जिला हनुमानगढ़। (राज.)। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् स्थाई व्यादेश

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सोम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता — वादी
2. श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 04.12.2019**

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 44 / 38 के पत्थर नम्बर 104 / 267 (27) के किला नम्बर 19 से 22 कुल 1.012 हैक्टर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 45 / 39 के पत्थर नम्बर 103 / 268 (29) किला नम्बर 3 व 8 कुल 0.506 हैक्टर में 1 / 4 हिस्सा अर्थात 0.127 हैक्टर भूमि मय गैर मुनकिन खाला प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 सलंग्न वाद–पत्र है।

वाद–पत्र को चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 1.139 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं पैदाकर्दा सम्पति न होकर वादी के परदादा श्री तनसुखराम से प्राप्त भूमि है व जद्दी जायदाद है। प्रमाणित प्रतिलिपी जनाबन्दी सम्वत् 2033 सलंग्न वाद–पत्र है।

वाद–पत्र को चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त भूमि उसके स्वयं पैदाकर्दा सम्पति न होकर जद्दी जायदाद है व जद्दी जायदाद होने से उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 बहिस्सा बराबर अर्थात

लगातार 2

Scanned by CamScanner

प्रत्येक का 126–1/6 हिस्सा भूमि का हक व अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपना मिलने वाला हक विरासतन 2/6 हिस्सा अर्सा दराज पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग किया हुआ है इस प्रकार वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के हकदार खातेदार है व इस आशय की घोषणा पाने का वादी अधिकारी व दावेदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार कोई हक, हित व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 3 के असम्यक प्रभाव में है व प्रतिवादी संख्या 3 के इसी असम्यक प्रभाव में आकर व उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अकेले के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 के मन बेजा लालच पैदा हो गया है व इसी लालच के वशीभूत होकर प्रतिवादी संख्या 1 वादी का हक मारने की नियत से उक्त भूमि में से जबरदस्ती, बिना किसी शिकार के ईट भट्टा वालों को मिट्टी विक्रय कर रहा है। व मिट्टी विक्रय कर देनें से उक्त भूमि में गहरे गढडे हो जायेगे, भूमि की उपजाउ क्षमता समाप्त हो जायेगी व भूमि के भावो में भारी गिरावट होगी। बारिश के दिनों में उक्त भूमि में पानी इक्टठा हो जाने से फसल भी नहीं हो पायेगी इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से मिट्टी विक्रय करने के साथ–साथ उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियो को विक्रय व मुन्तकिल करने की भी योजना बना रखी है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं कि प्रतिवादी वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक नम्बर 3 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 104/267 (27) के किला नम्बर 19 से 22 कुल 1.012 हैक्टर व पत्थर नम्बर 103/268 (29) 3 व 8 कुल 0.506 हैक्टर में 1/4 हिस्सा अर्थात 0.127 हैक्टर भूमि के किसी भी हिस्सा से मिट्टी विक्रय करने, मिट्टी उठवाने व उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से विक्रय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहें व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी ने गत सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि का मुताबिक पैरा 4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में सहमति दे देवें व इस भूमि में से मिट्टी. विक्रय करने व मिट्टी उठवाने सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही करने से निषिद्ध रहे तो वे मुकाम मक्कासर में साफ इन्कार हो गए यही बिनाय दावा है।

वाद–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो कि उचित न्यायालय पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद–पत्र वादी स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कि प्रतिवादी वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक नंम्बर 3 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 104/267 (27) के किला नम्बर 19 से 22 कुल 1.012 हैक्टर व पत्थर नम्बर 103/268 (29) किला नम्बर 3 व 8 कुल 0.506 हैक्टर में 1/4 हिस्सा अर्थात 0.127 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के हकदार खातेदार है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

(ख) स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक नम्बर 3 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 104/267 (27) के किला नम्बर 19 से 22 कुल 1.012 हैक्टर व पत्थर नम्बर 103/268 (29) किला नम्बर 3 व 8 कुल 0.506 हैक्टर में 1/4 हिस्सा अर्थात

लगातार 3

Scanned by CamScanner

0.127 हैक्टर भूमि के किसी भी हिस्सा से मिट्टी विक्रय करनें मिट्टी उठवानें व उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से विक्रय व मुन्तकिल करनें से निषिद्ध रहे व मौका एवम् रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकद्मा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 21.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवानी वाद प्रथम पक्ष वादी द्वारा इस्तकरारहक व तकसीम खाता बाबत द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया है, चूकि पक्षकारान आपस में पिता पुत्र व बहिन भाई है व एक ही परिवार के सदस्य है, जिनका भाई बिरादरी की पंचायत नें राजीनामा करवा दिया है, जो इस प्रकार है :–

वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा तनसुखराम पुत्र खिराज से प्राप्त होना व कुल भूमि पैतृक सम्पति होना स्वीकार करते है व पैतृक सम्पति होने के कारण वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.012 हैक्टर व 0.127 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 तथा रामकृष्ण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने उक्त भूमि मे मिलने वाला हक विरास्तन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा रामकृष्ण के पक्ष में बहिस्सा बराबर मौखिक तर्क किया हुआ है। इस प्रकार वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/3 कुल 1/4 हिस्सा के हकदार खातेदार है।

अगर प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार से कोई एतराज एवं आपति नही है बल्कि पक्षकारान वाद डिक्री करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद–वादी डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी

लगातार 4

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलियें पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1भगवानाराम पुत्र तनसुखराम के नाम चक नम्बर 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 44/38 व 45/39 में वर्णित भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद स्वीकार होनें के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है , प्रतिवादी संख्या 3.1 ता 3.3 प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र रामकृष्ण के वारिसान है, का पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक नम्बर 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 44/38 के पत्थर नम्बर 104/267 (27) के किला नम्बर 19 से 22 कुल 1.012 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्ठि भगवानाराम वल्द तनसुखराम कौम कुम्हार साकिन मक्कासर को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी बृजलाल पुत्र भगवानाराम को 0.253 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम पुत्र तनसुखराम को 0.253 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर पुत्र भगवानाराम को 0.253 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3.1 माया देवी पत्नि रामकृष्ण, प्रतिवादी संख्या 3.2 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकृष्ण तथा प्रतिवादी संख्या 3.3 औम प्रकाश पुत्र रामकृष्ण बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार चक नम्बर 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 45/39 के पत्थर नम्बर 103/268 (29) किला नम्बर 3 व 8 कुल 0.506 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम पुत्र तनसुखराम कौम कुम्हार साकिन मक्कासर के नाम 1/4 हिस्सा यानि 0.127 हैक्टर भूमि में वादी को 0.032 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 को 0.031 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 को 0.032 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3.1 ता 3.3 को बहिस्सा बराबर 0.032 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल राहड़)

Scanned by CamScanner

(6)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 162/2019

1 बृजलाल पुत्र श्री भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – – **वादी**

–:: बनाम ::–

1 भगवानाराम पुत्र श्री तनसुखदास जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

2 रामेश्वर पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

3 रामकृष्ण पुत्र श्री भगवानाराम (मृतक)

3.1 मायादेवी पत्नि स्व. रामकृष्ण जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

3.2 राजेन्द्रकुमार पुत्र स्व. रामकृष्ण जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

3.3 औमप्रकाश पुत्र स्व. रामकृष्ण जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।

4 मीरां पुत्री भगवानाराम पत्नि लीलाधर जाति कुम्हार निवासी 1 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)।

5 मथुरादेवी पुत्री भगवानाराम पत्नि श्री मनीराम टाक जाति कुम्हार निवासी नाथावाली थेहडी तहसील व जिला हनुमानगढ़। (राज.)। – – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् स्थाई व्यादेश

निर्णय दिनांक :– 04.12.2019

वादी की और से श्री सोम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 04.12.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक नम्बर 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 44/38 के पत्थर नम्बर 104/267 (27) के किला नम्बर 19 से 22 कुल 1.012 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्ठि भगवानाराम वल्द तनसुखराम कौम कुम्हार साकिन मक्कासर को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी बृजलाल पुत्र भगवानाराम को 0.253 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम पुत्र तनसुखराम को 0.253 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर पुत्र भगवानाराम को 0.253 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3.1 माया देवी पत्नि रामकृष्ण, प्रतिवादी संख्या 3.2 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकृष्ण तथा प्रतिवादी संख्या 3.3 औम प्रकाश पुत्र रामकृष्ण बहिस्सा बराबर 0.253 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार चक नम्बर 3 एस.टी.जी. के खाता संख्या 45/39 के पत्थर नम्बर 103/268 (29) किला नम्बर 3 व 8 कुल 0.506 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम पुत्र तनसुखराम कौम कुम्हार साकिन मक्कासर के नाम 1/4 हिस्सा यानि 0.127 हैक्टर भूमि में वादी को 0.032 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 को 0.031 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 को 0.032 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3.1 ता 3.3 को बहिस्सा बराबर 0.032 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में अपील की मियाद अवधी के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.30 16:24:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: